बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

पत्रांकः–08/अ0प्र0–12–07/2019 4142 /पटना, दिनांकः– 11.8.25

वित्त विभागीय पत्रांक–531/वि0, दिनांक–22.01.2003 में संसूचित निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–12402 दिनांक–02.11.2016 द्वारा दिनांक–20.12.2000 की तिथि के बाद अनुकम्पा के आधार पर वेतनमान– 3050–4590/– से उच्चत्तर वेतनमान के पदों पर नियुक्त कर्मियों को अनुकम्पा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित/अनुमान्य वेतनमान– 3050–4590/– के पदों पर वापस करते हुए पुर्नबहाल करने का निर्णय लिया गया।

2. इस निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–9921/2017 (विनीत कुमार एवं अन्य) तथा अन्य कतिपय वाद दायर किये गये, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–21.08.2017 को समान पद के लिए समान वेतनमान के आधार पर न्यायादेश पारित किया गया। उक्त पारित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल0पी0ए0 सं0–1702/2017 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP No-23778/2018, खारिज हो जाने के फलस्वरूप दिनांक–28.09.1999 के बाद अनुकम्पा के आधार पर कनीय लेखा लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक(लेखा)/निम्नवर्गीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त रिट आवेदकों को वित्त विभागीय पत्रांक–8325, दिनांक–19.11.2018 के द्वारा वेतनमान–4000–6000 दिये जाने हेतु कार्य विभाग को निदेश दिया गया।

3. कतिपय कर्मियों, जिनकी नियुक्ति दिनांक–20.12.2000 के बाद अनुकम्पा के आधार पर कनीय लेखा लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक(लेखा)/निम्नवर्गीय लेखा लिपिक के पद पर वेतनमान –3050–4590 में की गई, परन्तु राज्य सरकार द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु निर्गत पत्रों/परिपत्रों (अनुकम्पात्मक नियुक्ति वेतनमान–3050–4590 वाले पर ही किया जाना है) से असंगत होने के कारण उनके पदनाम को संशोधित करते हुए निम्नवर्गीय लिपिक (वेतनमान–3050–4590) किया गया। उक्त कार्रवाई वित्त विभागीय संकल्प सं0–3111, दिनांक–25.03.2015 निर्गत होने के पूर्व ही कर ली गई थी।

4. ऐसे कर्मियों द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–9921/2017 (विनीत कुमार एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं0–3111, दिनांक–25.03.2015 का लाभ दिये जाने हेतु कतिपय वाद दायर किये गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–9921/2017 के मामले को दृष्टिगत रखते हुए समरूप लाभ दिये जाने का न्यायादेश पारित किया गया है। उक्त न्यायादेश के आलोक में संबंधित कर्मियों को सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–9921/2017 के कर्मियों के समरूप लाभ दिये जाने के बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया, जिसमें विद्वान महाधिवक्ता द्वारा पूर्व में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–9921/2017 (विनीत कुमार एवं अन्य) के मामलें में राज्य सरकार द्वारा SLP को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा खारिज किये जाने के कारण प्रस्तुत मामलें को Settle मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का अनुपालन किये जाने का परामर्श दिया गया। इस आशय का निदेश वित्त विभागीय पत्रांक–6012, दिनांक–10.07.2023 द्वारा दिया गया है।

5. विभागीय पत्रांक–12402, दिनांक–02.11.2016 के साथ संलग्न सूची में अंकित कर्मियों 1. श्री राम बाबु राम (क्रमांक–52), गृह जिला–मुजफ्फरपुर, जन्म तिथि–07.04.1975, 2. श्री बोध राज (क्रमांक–36), गृह जिला–सुनसरी, नेपाल, जन्म तिथि–05.07.1978, 3. श्री उमाकान्त सिंह (क्रमांक–13), गृह जिला–रोहतास, जन्म तिथि–04.02.1983 4. श्री केशव कुणाल (क्रमांक–35), गृह जिला–शेखपुरा, जन्म तिथि–25.12.1986, 5. श्री राज कुमार (क्रमांक–75), गृह जिला–पटना, जन्म तिथि–18.01.1987, 6. श्री वशिष्ठ कुमार (क्रमांक–23), गृह जिला–रोहतास, जन्म तिथि–16.06.1972, 7. श्री मनोज कुमार राम (क्रमांक–11), गृह जिला–बलिया (उत्तर प्रदेश), जन्म तिथि–05.01.1977, 8. श्री ललन कुमार (क्रमांक–20),

गृह जिला–पूर्वी चम्पारण, जन्म तिथि–21.01.1969 एवं 9. श्री मिथिलेश कुमार (क्रमांक–39), गृह जिला–खगड़िया, जन्म तिथि–15.05.1977 पूर्व के पद पर पुर्नबहाल करने हेतु नियुक्ति पत्र एवं अद्यतन सेवापुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ अभ्यावेदन दिया गया। सभी कर्मियों का उपलब्ध प्रतिवेदन/नियुक्ति पत्र के अनुसार सभी 09 कर्मियों की नियुक्ति कनीय लेखा लिपिक/लेखा लिपिक के रिक्त/स्वीकृत पद पर वेतनमान 3050–4590 पुनरीक्षित वेतनमान–5200–20800/–ग्रेड पे–1900 में हुई है।

6. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3111 दिनांक–25.03.2015 की कंडिका–5 (ii) में यह निर्णय संसूचित है कि दिनांक–28.09.1999 एवं उसके बाद की तिथियों में कार्य विभागों के लेखा लिपिक संवर्ग में कनीय लेखा लिपिक/निम्नवर्गीय लेखा लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा) के पद पर नियुक्त कर्मी कनीय लेखा लिपिक के पदनाम से अभिहित होंगे तथा उन्हें दिनांक–31.12.2005 तक रू0 4000–6000/– तथा दिनांक–01.01.2006 से पी0बी0–01+2400/– का वेतनमान अनुमान्य होगा।

7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, वित्त विभागीय पत्रांक–6012, दिनांक–10.07.2023, वित्त विभागीय परामर्श, वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3111 दिनांक–25.03.2015 में संसूचित प्रावधान के आलोक में 1. श्री राम बाबु राम, गृह जिला–मुजफ्फरपुर 2. श्री बोध राज, गृह जिला–सुनसरी, नेपाल 3. श्री उमाकान्त सिंह, गृह जिला–रोहतास 4. श्री केशव कुणाल, गृह जिला–शेखपुरा 5. श्री राज कुमार, गृह जिला–पटना 6. श्री वशिष्ठ कुमार, गृह जिला–रोहतास 7. श्री मनोज कुमार राम, गृह जिला–बलिया (उत्तर प्रदेश) 8. श्री ललन कुमार, गृह जिला–पूर्वी चम्पारण एवं 9. श्री मिथिलेश कुमार, गृह जिला–खगड़िया को उनके प्रथम/मूल नियुक्ति के पद लेखा लिपिक/कनीय लेखा लिपिक के पद पर उनके प्रथम योगदान की तिथि से पुर्नस्थापित करते हुए निम्नांकित आदेश दिया जाता है:–

(i) कंडिका–7 में वर्णित सभी कर्मियों के प्रसंग में विभागीय पत्रांक–12402, दिनांक–02.11.2016 को निरस्त किया जाता है।

(ii) सभी कर्मियों को उनकी नियुक्ति के प्रथम/मूल पद यथा लेखा लिपिक/कनीय लेखा लिपिक के पद पर उनके प्रथम योगदान की तिथि से पुर्नस्थापित किया जाता है।

(iii) सभी कर्मियों को उनके प्रथम योगदान के कार्यालय श्री राम बाबु राम, गृह जिला–मुजफ्फरपुर को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–02, श्री बोध राज, गृह जिला–सुनसरी (नेपाल) को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिमरी बख्तियारपुर, श्री उमाकान्त सिंह, गृह जिला–रोहतास को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–02, श्री केशव कुणाल, गृह जिला–शेखपुरा को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा, श्री राज कुमार, गृह जिला–पटना को ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, श्री वशिष्ठ कुमार, गृह जिला–रोहतास को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर, श्री मनोज कुमार राम, गृह जिला–बलिया (उत्तर प्रदेश) को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा, श्री ललन कुमार, गृह जिला–पूर्वी चम्पारण को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल तथा श्री मिथिलेश कुमार, गृह जिला–खगड़िया को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया में पदस्थापित किया जाता है।

(iv) वित्त विभागीय संकल्प सं0–3111, दिनांक–25.03.2015 की कंडिका–5 (ii) के तहत् इन्हें अनुमान्य वेतन देय होगा।

(v) इनसे वसूल की गयी राशि /बकाया राशि यदि कोई हो तो उसे भुगतान का आदेश दिया जाता है।

उक्त आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8/8/25

(मो0 सुल्तान अहमद)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–12–07/2019 8681 /पटना, दिनांकः– 11.8.25

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ।

ह0/– 11.8.25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–12–07/2019 8681 /पटना, दिनांकः– 11.8.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 11.8.25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–12–07/2019 8681 /पटना, दिनांकः– 11.8.25

प्रतिलिपिः–सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

संबंधित कार्यपालक अभियंता से अनुरोध है कि आदेश का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

ह0/– 11.8.25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–12–07/2019 8681 /पटना, दिनांकः– 11.8.25

प्रतिलिपिः–श्री राम बाबु राम, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल/श्री बोध राज, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी/श्री उमाकान्त सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनियाँ/श्री केशव कुणाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कहलगाँव/श्री राज कुमार, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम/श्री वशिष्ठ कुमार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी/श्री मनोज कुमार राम, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर/श्री ललन कुमार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल/श्री मिथिलेश कुमार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 11.8.25
अभियंता प्रमुख